UNNAO POLICE

उन्नाव पुलिस
सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा

लूट के मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्नाव पुलिस का सम्मान

वादी मुकदमा, थाना गंगाघाट क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों एवं व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा पुलिस टीम को किया गया सम्मानित

उन्नाव के थाना गंगाघाट क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्नाव पुलिस का सम्मान किया गया। थाना गंगाघाट परिसर में उपस्थित होकर मुकदमा वादी राकेश शुक्ला, व्यापारी मंडल के सदस्यों और गंगाघाट के सम्मानित व्यक्तियों ने पुलिस टीम को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.09.2025 को मुकदमा वादी श्री राकेश शुक्ला पुत्र स्व0 छुन्नू लाल शुक्ला निवासी ब्रम्हनगर बम-2 चौराहा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पुलिस को तहरीर दी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर मे घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना की गई है। जिसमें लूटरों द्वारा जेवरात, 10-12 लाख रुपये नगद व एक लाइसेंसी रिवाल्वर लुटे गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 549/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें घटना के खुलासे के लिये श्री दीपक यादव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। दौराने विवेचना थाना गंगाघाट पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 10.09.2025 को 25,000-25,000 हजार रुपये के इनामिया 03 अभियुक्तगण 01. रामू पुत्र गुरुप्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी रसूलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली(पुलिस मुठभेड़ में) 02. राजू पुत्र हफीज उम्र करीब 42 वर्ष निवासी गुटकुशहन फुलेन्डी थाना बछरावां जनपद रायबरेली(पुलिस मुठभेड़ में) 03. दीपक पुत्र शहदेव निवासी रसुलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष(दिनांक 16.09.2025 को गिरफ्तार) तथा 50,000-50,000 रुपये के इनामिया दो अभियुक्तगण 04.संतबहादुर उर्फ पंडा पुत्र

विजय बहादुर उम्र करीब 45 वर्ष निवाली थाना डलमऊ जनपद रायबरेली(पुलिस मुठभेड़ में) 05. बीरेंद्र उर्फ नन्कू यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 16/397 जेल रोड मैंथा जनपद रायबरेली(पुलिस मुठभेड़ में) को दिनांक 12.09.2025 को कब्जे से लूटे हुये सभी जेवरात, रुपये व लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया है तथा लूटे हुये सामान की शत प्रतिशत रिकवरी की गई है।

आज दिनांक 17.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त के वादी राकेश शुक्ला उपरोक्त, व्यापारी मंडल के सदस्यों व गंगाघाट के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से प्रसन्न होकर थाना गंगाघाट परिसर में उपस्थित होकर श्री दीपक यादव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर महोदय उन्नाव, प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट श्री अजय कुमार सिंह मय टीम, श्री विनोद सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम व एसओजी टीम को अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

थाना कार्यालय
आप कैमरे की नज़र में है!
मालखाना
सूची हिस्ट्रीशीटर थाना गंगाघाट जनपद – उन्नाव दिनांक 01.01.2025

प्रेसनोट, दिनांक 17.09.2025
थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः- आज दिनांक 17.09.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश द्वारा मय हमराह पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान मुंशीखेडा तिराहे पर सुमित उर्फ करिया पथरकट पुत्र कौशलेन्द्र नि0 भेड़हाखेडा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष, जिसकी जामा तालाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए, को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा मे लेने हेतु भेजा गया है।

नाम पता अभियुक्त-

1. सुमित उर्फ करिया पथरकट पुत्र कौशलेन्द्र नि0 भेड़हाखेडा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1	मु0अ0सं0 81/2025	303(2)/317(2) BNS थाना आसीवन
2	मु0अ0सं0 309/2025	3/25 A.ACT थाना आसीवन
3	मु0अ0सं0 208/2025	304(2) BNS थाना माखी

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयप्रकाश यादव
2. कां0 मनमोहन सिंह
3. कां0 रमाकान्त